भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
ल खत प्रश्न सं. 616
गुरूवार, 21 जुलाई, 2022/30 आषाढ़, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा देने के लए नई योजना

616. डा. सोनल मान संहः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लए कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) क्या पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत नौकरियां सृजित करने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय "आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार" (डीपीपीएच) और "बाजार वकास सहायता सहित वदेशों में संवर्धन एवं प्रचार" (ओपीएमडी) की अपनी चल रही योजनाओं के माध्यम से घरेलू और वदेशी बाजारों में पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय "स्वदेश दर्शन" और "तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक , वरासत संवर्धन अ भयान पर राष्ट्रीय मशन" - प्रशाद की अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को पर्यटन अवसंरचना के वकास के लए उनके परामर्श से वत्तीय सहायता प्रदान करता है , जो पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों के सृजन में योगदान देता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लए कई अन्य कदम उठाए हैं जो निम्न दिए गए ववरण के अनुसार इस क्षेत्र में नौकरियों का सृजन करते हैं :-

i. वरासत स्थलों/स्मारकों और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सु वधाओं के वकास और रखरखाव के लए एक वरासत को अपनाएं परियोजना की शुरुआत की गई।

ii. **156** देशों के नागरिकों के लए **5** उप-श्रे णयों अर्थात ई-पर्यटक वीजा , ई-बिजनेस वीजा, ई-मे डकल वीजा, ई-मे डकल अटेंडेंट वीजा और ई-कॉन्फ्रेंस वीजा के लए ई-वीजा की सु वधा प्रदान करना ।

iii. अतुल्य भारत पर्यटक सु वधाप्रदाता कार्यक्रम शुरू कया गया है , जो प्र श क्षत और प्रमा णत पर्यटक सु वधाप्रदाताओं का एक पूल बनाने के लए बुनियादी , उन्नत, मौ खक वदेशी भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करने के लए एक अ खल भारतीय डजिटल पहल है जो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा।

iv. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में नियोजनीय क्षमता सृजित करने के लए जनशक्ति के प्र शक्षण और उन्नयन के लए 'सेवा प्रदाताओं के लए क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करना।

****